| ारिख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये। |
|---|---|---|

/9/2021

यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री एस. एस. कालवी ने पेश किया। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत् अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आवश्यक प्रकृति का होना जाहिर किया तथा प्रकरण में एक पक्षीय बहस का निवेदन किया।

बहस एक पक्षीय अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 3 एक ही परिवार के सदस्य है जिनके पुश्तैनी भूमि ग्राम–छावटाकलां तहसील जायल में खसरा नं. 105, 239 तहसील जायल में अवस्थित है, जिसकी खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज हैं, उक्त भूमि प्रार्थी तथा उसके भाईयो तथा पिता ने आपसी सहमति से बंटवारा करने के बाद आज से 20–21 साल पहले अलग करके प्रार्थी के बंट तथा कब्जा काश्त में रखी गई, परन्तु प्रार्थी सरकारी सेवा में होने से उक्त भूमि बाटे व हासल पर देता रहा ओर उसके एवज में कभी अनाज व पैसे लेकर वापस नोकरी पर चला जाता। अब प्रार्थी सेवानिवृत हो चुका है तथा अपने हिस्से की भूमि पर काश्त करने के लिए अप्रार्थीगण से बातचीत की तो वो मरने मारने पर उतारू हो गये तथा विवादग्रस्त खेतो पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। यदि वे ऐसा करने में सफल हो जाते है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी।

चूंकि विवादग्रस्त खेताय की खातेदारी प्रार्थी के नाम है तो प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है तथा यदि प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा करने में सफल हो गये तो अपूरणीय क्षति प्रार्थी को होगी। अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया कि वे प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि पर दखल नहीं करे।

वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र के संबंध में उपलब्ध दस्तावेज, प्रार्थी के शपथ पत्र एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। विवादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खातेदारी की भूमि है। प्रार्थी के स्वयं के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुये प्रथम दृष्टयां प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है, यदि अप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि पर जबरन कब्जा करने में सफल हो जाते है तो अपूरणीय क्षति प्रार्थी पक्ष को होगी। इस प्रकार मामला प्रथम दृष्टयां, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति, के तीनो बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होते है।

अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 को ग्राम–छावटांकला तहसील जायल के खसरा नं. 105, 239 की भूमि जो प्रार्थी खातेदारी सुदा भूमि है में किसी प्रकार की दखलन्दाजी आगामी पेशी तक नहीं तथा ना ही किसी अन्य से करावे। इस बाबत आपको जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है। अप्रार्थीगण जरिये सम्मन तलब हो। पत्रावली दिनांक 15.11.21 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

अधार/पक्षकारान के आधवक्ता

15.11.21

पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग में/प्रवास अवकाश पर [illegible] है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 24.1.22 को पेश करें।

Scanned with CamScanner

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

24.1.22 पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग में/अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 23.3.22 को प्रस्तुत करें।

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

23.3.22 पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग में/अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 22.6.22 को प्रस्तुत करें।

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

22/6/22 पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग में/अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 13/9/22 को प्रस्तुत करें।

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

13/9/22 पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग में/अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 7/11/22 को प्रस्तुत करें।

07/11/22 पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग के क्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 26.12.22 को प्रस्तुत करें।

26/12/2022 पत्रावली प्रस्तुत। वकिल प्रार्थी उपस्थित। वकिल प्रार्थी O39 (3) CPC की पालना तुरन्त करें। पत्रावली दिनांक 22.03.2023 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

22/3/23 पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग के क्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 29/5/23 को प्रस्तुत करें।

29/5/23 पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग के क्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 28/7/23 को प्रस्तुत करें।

28/7/23 पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग के क्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 29/9/23 को प्रस्तुत करें।

29/9/23 पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग के क्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 22.11.23 को प्रस्तुत करें।

# फर्द अहकाम

(नियम–26)

**अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)**

वादीगण बनाम प्रतिवादीगण

बनाम्

मुकदमा नं.– /.

प्रकरण :

| तारीख | हुक्म या कार्यवाही इनिशिलस जज | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये। |
|---|---|---|
| 22/11/23 | पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता<br>पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग के क्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 15/12/23 को प्रस्तुत करें। | |
| 15/12/23 | पत्रावली प्रस्तुत। वकिल प्रार्थी उप.। वकिल प्रार्थी अप्रार्थीगण की तामिल हेतु समय चाहा। पत्रावली दिनांक 07.02.24 को पेश हो। | |
| 07/02/24 | पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता<br>पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग के क्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 15.03.24 को प्रस्तुत करें। | |
| 15/03/24 | पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी समय अप्रार्थीगणों की तामील हेतु वकील वादी समय चाहा। जो न्यायहित दिया जाकर आइन्दा पत्रावली दिनांक 15.05.24 को पेश हो। | |
| 15/5/24 | पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता<br>पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग के क्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 24/7/24 को प्रस्तुत करें। | |
| 24/7/24 | पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता<br>पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग के क्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 4/9/24 को प्रस्तुत करें। | |
| 4/9/24 | पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता<br>पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग के क्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 4/10/24 को प्रस्तुत करें। | |

49

Scanned with CamScanner

| तारिख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशिलस जज | नम्बर व ... अहकाम ... हुक्म की ... में जारी |
| --- | --- | --- |
| 5/10/15 | पत्रावली सम्बन्धित प्रार्थना पत्र के साथ मूल वाद को अदम पैरवी – अदम हाजरी में खारिज किया गया है अतः प्रा० पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता है इसलिए प्रा० प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता है इसलिए इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] दा० पृष्ठा० हो | |